न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

लक्ष्मण सिंह .... बनाम .... तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा .... 136 LR .... मु.नं. 396 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
19.09.25	प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 138 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि चरणकंवर पत्नी किशोरसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी की माता के नाम की सही प्रविष्टि इचरज कंवर पत्नी किशोर सिंह है। प्रार्थी की माता के नाम से बने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, परिवार राशनकार्ड आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि इचरज कंवर पत्नी किशोर सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि चरणकंवर पत्नी किशोरसिंह के स्थान पर इचरज कंवर पत्नी किशोर सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1324 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 138 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि चरणकंवर पत्नी किशोरसिंह के स्थान पर इचरज कंवर उर्फ चरणकंवर पत्नी किशोर सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1324 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:04:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner